न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

अपील सं. 05/2024

सीन अधिकारी – रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 75 RLR Act

अनवान अपीलाण्ट – 1. कमलादेवी पत्नि मिश्रीमल, जाति जैन
निवासी आलमसर, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

बनाम

उतरदातागण – 1.सरपंच ग्राम पंचायत आलमसर
2.प्यारीदेवी पत्नि चम्पालाल 3.अम्बिका 4.पंकज 5.प्रमिला
6.रेखा पि.चम्पालाल, जातियान जैन, निवासी जैन मंदिर के पास, पंजाब नेशनल बैंक वाली गली, चौहटन, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
7.मांगीलाल 8.सुरेश पि.मिसरीमल, जातियान जैन, निवासी आलमसर, तहसील धनाऊ, हाल सुन्दर नगर चौहटन, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर
9.शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चौहटन
10.तहसीलदार धनाऊ

अधिवक्तागण – अपीलाण्ट वकील – **श्री पवन धारीवाल**
उतरदातागण वकील – **श्री शाकर खान एच. (उतदाता सं. 2 से 8)**

निर्णय

दिनांक :– 28.10.2025

अपीलाण्ट द्वारा पेश अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट एवं उतरदातागण सं. 2 से 6 के ससूर व दादा एवं उतरदातागण सं. 7 व 8 के पिता स्व.मिश्रीमल की खातेदारी की जमीन ग्राम आलमसर तहसील चौहटन वर्तमान तहसील धनाऊ में खसरा सं. 317/2 रकबा 121.03 बीघा वर्तमान खसरा सं. 761/317 रकबा 19.6110 हैक्टयर की आई हुई थी । वर्तमान में उक्त आराजी उतरदाता सं. 2 से 8 के नाम दर्ज है।

कि अपीलाण्ट एवं उतरदाता सं. 2 से 8 हिन्दू विधि से शासित है एवं स्व.मिश्रीमल के विधिक प्रथम वर्ग के वारिसान है। वादग्रस्त आराजी ग्राम आलमसर तहसील चौहटन वर्तमान तहसील धनाऊ में खसरा सं. 317/2 रकबा 121.03 बीघा वर्तमान खसरा सं. 761/317 रकबा 19.6110 हैक्टयर में अपीलाण्ट का वंशावली संजरा अनुसार 1/4 हिस्सा खातेदारी बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:08:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

पति मिश्रीमल का देहान्त होने पर स्व.मिश्रीमल के 04 विधिक वारिसान थे लेकिन सं. 7 व 8 द्वारा अपीलाण्ट की उपस्थिति के तथ्य को छिपाते हुए विरासत का अपीलाधीन करण सं. 84 हल्का पटवारी तथा उतरदाता सं. 1 ग्राम पंचायत आलमसर आलमसर की म सभा प्रस्ताव सं. 1(011) दिनांक 18.03.1981 के जरिए सरपंच से तस्दीक करा दिया और इस नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अपीलाधीन आराजी स्व.चम्पालाल तथा उतरदाता सं. 7 व 8 के नाम अंकित हो गई। वर्तमान में इस आराजी के स्व.मिश्रीमल के विधिक वारिसान चम्पालाल फौत हो चुके है जिसके विधिक वारिसान उतरदाता सं. 2 से 6 है।

जिस समय अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक हुआ उस समय अपीलांटा अपने पति की मृत्यू के सदमें में थी तथा अपने अधिकारों की जानकारी नहीं रख पाई। अर्सा पूर्व उतरदाता सं. 2 से 8 ने वर्तमान भूमि की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी व हस्तक्षेप करने का असफल प्रयास किया तथा वादग्रस्त आराजी का बेचान करने हेतु अजनबी व्यक्तियों को मौके पर लाकर अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की भूमि को दिखाने लगे तथा अपीलाण्ट को अपने हक हकूक संशयप्रद लगे तो अपीलाण्ट ने हल्का पटवारी से वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त की तो हल्का पटवारी से सम्पूर्ण तथ्यों व अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रति अरसा 10 रोज पूर्व प्राप्त की तब अपीलाण्ट को नामान्तरकरण सं. 84 से क्षुब्ध होकर यह अपील पेश करने की आवश्यकता पड़ी है।

अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 84 मौजा आलमसर तहसील चौहटन वर्तमान तहसील धनाऊ पर उतरदाता सं. 1 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। उतरदाता सं. 1 ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए इस पर स्वैच्छाचारिता से आदेश पारित किया, स्व. मिश्रीमल के विधिक वारिशान की जाच न कर प्रक्रिया संबंधी विधि के उल्लंघन एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना न कर प्रतिकूल आदेश पारित किया है तो निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश का ज्ञान अपीलाण्ट को 28.02.2024 को हुआ तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत है साथ ही एहतियात तौर पर अपील दायर करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील अंदर म्यांद शुमार किए जाने हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश है।

अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार कर स्वीकृत फरमाई जावे तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 84 मौजा आलमसर पर पारित आदेश निरस्त कर मृतक मिश्रीमल के विधिक वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर ण को जरिये रजि.नोटिस तलब किया गया। उतरदातागण सं. 2 से 8 की एच. ने वकालतनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:08:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

शेष उतरदाता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए अतः उनके विरूद्ध एकतरफा अमल में लाई गई।

पत्रावली पेश हुई । उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में उतरदाता सं. 1 द्वारा मिश्रीमल के विधिक वारिशान की जाच न कर प्रक्रिया संबंधी विधि के उल्लंघन एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना न कर प्रतिकूल आदेश पारित किया है तो निरस्त योग्य है। अतः निवेदन है कि उतरदाता सं. 1 द्वारा पारित आदेश नामान्तरकरण सं. 84 निरस्त कर मृतक मिश्रीमल के विधिक वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।

उतरदातागण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की और न्यायालय के समक्ष कथन किया कि यदि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सलंगन दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी मौजा आलमसर तहसील चौहटन वर्तमान तहसील धनाऊ में खसरा सं. 317/2 रकबा 121.03 बीघा वर्तमान खसरा सं. 761/317 रकबा 19.6110 हैक्टयर के संबंध में अपीलाण्ट के पति मिश्रीमल का देहान्त होने पर पारित अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण सं. 84 स्व.मिश्रीमल के विधिक वारिसान की जांच किये बिना पारित किया गया जो उतरदाता सं. 1 ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए स्वैच्छाचारिता से आदेश पारित किया, विधिक वारिशान की जाच न कर प्रक्रिया संबंधी विधि के उल्लंघन एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना के प्रतिकूल आदेश पारित किया है तो निरस्त योग्य है।

अतः न्यायहित में अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर वादग्रस्त आराजी मौजा आलमसर तहसील चौहटन वर्तमान तहसील धनाऊ में खसरा सं. 317/2 रकबा 121.03 बीघा वर्तमान खसरा सं. 761/317 रकबा 19.6110 हैक्टयर के संबंध स्व. मिश्रीमल का देहान्त होने पर पारित अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण सं. 84 दिनांक 18.03.1981 निरस्त किया जाता है तथा स्व.मिश्रीमल के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:08:14 IST
Reason: SelfAttested

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन